**बिहार सरकार**
**गन्ना उद्योग विभाग**

# आ दे श

ज्ञापांक–1/विकास–16356/2025– 2092/ई०आ० पटना, दिनांक– 18 नवम्बर, 2025

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत्यादेश सं0–196 स्वी0/सी.सी. दिनांक–03.07.2025 एवं संशोधित आदेश सं0–223 स्वी0 दिनांक–18.07.2025 निर्गत है। इस योजनांतर्गत विभिन्न अवयवों यथा–आधार बीज उत्पादन, प्रमाणित गन्ना बीज प्रत्यक्षण एवं अंतरवर्ती खेती के कार्यान्वयन हेतु लागू वर्तमान कार्यान्वयन अनुदेश में चीनी मिलों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सुझाव के आलोक में समीक्षोपरान्त पूर्व अनुदेश के अतिरिक्त निम्न निदेश दिया जाता है–

1. **आधार बीज उत्पादन–**

वर्तमान में कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन का कार्य मात्र कृषि विज्ञान केंद्र को अनुमान्य करने का प्रावधान किया गया है, जबकि वर्तमान वर्ष के पूर्व में यह कार्य किसानों के खेत में भी करने का प्रावधान था। गैर चीनी मिल क्षेत्र के सहायक निदेशक, ईख विकास से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके जिला के कृषि विज्ञान केंद्र गन्ना के बीज उत्पादन के लिए इच्छुक नहीं हैं। अतएव, गैर चीनी मिल क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्र के साथ–साथ किसानों के खेत में भी आधार बीज उत्पादन करने की अनुमान्यता प्रदान की जाती है।

2. **गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज का प्रत्यक्षण –**

वर्तमान वर्ष में प्रमाणित बीज प्रत्यक्षण मद अंतर्गत सामान्य वर्ग में प्रत्येक किसान के लिए लाभुक होने के लिए एक एकड़ में गन्ना की खेती को अनिवार्य किया गया है। इसके फलस्वरूप एक एकड़ से कम वाले किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में किसानों का खेत कई प्लॉट में बटाँ हुआ है तथा उनकी भू धारिता भी कम है। अतएव, वर्तमान में प्रमाणित बीज के लिए अनुदान मद का लाभ लेने के लिए सामान्य वर्ग अंतर्गत एक एकड़ के अतिरिक्त आधा एकड़ के विकल्प को भी अनुमान्य किया जाता है।

3. **गन्ना के साथ अंतरवर्ती खेती (दलहन/तेलहन/मशाला/सब्जी) हेतु बीज के लिए अनुदान–**

वर्तमान वर्ष में गन्ना के साथ अन्तरवर्ती खेती में एक किसान को अनुदान की राशि लाभ प्राप्त करने के लिए 02 फेज में सत्यापन करने का प्रावधान है। इस मद में एक किसान को काफी कम अनुदान का प्रावधान है। उदाहरण के लिए एक एकड़ में सरसों की खेती के लिए मात्र 02 किलो बीज उन्हें प्राप्त होगा, जिसमें से आधा दाम किसान को देना है तथा आधा दाम राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को भुगतान करना है। 02 स्तर के सत्यापन प्रक्रिया के रहने के कारण किसान दो बार सत्यापन नहीं कराना चाहते हैं, जिससे इस मद का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है। अतएव सहायक निदेशक/चीनी मिल से प्राप्त सुझाव के आलोक में प्रथम फेज का सत्यापन यथावत् रखते हुए द्वितीय फेज के सत्यापन को किसानों द्वारा बीज खरीदने के सत्यापन के साथ बिहार राज्य बीज निगम को अनुदान की राशि विमुक्त करने का प्रावधान किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(हस्ताक्षर) 18/11/2025
ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16356/2025– 2092/ई॰आ॰ पटना, दिनांक– 18 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16356/2025– 2092/ई॰आ॰ पटना, दिनांक– 18 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के॰भी॰के॰/राज्य के कृषि विश्वविघालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम (BRBN), बिहार, पटना/विपणन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम (BRBN), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.11.25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16356/2025– 2092/ई॰आ॰ पटना, दिनांक– 18 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि– SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/डाटा एनालिस्ट, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उपरोक्त संशोधन के अनुसार पोर्टल को अपडेट करने हेतु प्रेषित।

18.11.25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16356/2025– 2092/ई॰आ॰ पटना, दिनांक– 18 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ–क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.25

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/विकास–16356/2025– 2092/ई॰आ॰ पटना, दिनांक– 18 नवम्बर, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

18.11.25

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner